पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1810
दिनांक- 02.10.2026

जोन-दक्षिणी / थाना-मोहनलालगंज

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी से फलस्वरूप दुष्कर्म के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 20 वर्ष कठोर कारावास व 53,000/- रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

01-कार्यवाही का विवरणः-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश महोदय के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत, पुलिस आयुक्त लखनऊ, श्री तरुण गाबा व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्रीमती अपर्णा कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालय मे अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालय में सघन पैरवी के क्रम में पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री मो0 मुश्ताक व अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार के निर्देशन में सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज राजेश कुमार सिंह व प्रभारी निरीक्षक थाना मोहनलालगंज श्री राम बाबू सिंह के नेतृत्व में थाना स्थानीय के पैरोकार का0 सुनील कुमार के द्वारा प्रभावी पैरवी व अथक प्रयास किया गया।

02-संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 25.10.2024 को वादिनी के द्वारा दी गई तहरीरी सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-498/2024 धारा 65(2)/351(3)/352 BNS व 5k/5m/6 पाक्सो एक्ट थाना मोहनलालगंज लखनऊ बनाम मैकूलाल पुत्र डल्ला प्रसाद निवासी मोहनलालखेड़ा थाना मोहनलालगंज लखनऊ के पंजीकृत किया गया। जिसमें आरोप पत्र दिनांक 14.11.2024 को मा0 न्यायालय दाखिल किया गया।

जिसमें मा0न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो मेन लखनऊ द्वारा संज्ञान लेकर दिनांक 01.10.2026 को ही आरोप का निर्धारण किया गया। थाना-मोहनलालगंज पुलिस ने उक्त प्रकरण में कुशल पैरवी करते हुए वाद सं0-2723/2024 मु0अ0सं0-498/2024 धारा 65(2)/351(3)/352 BNS व 5k/5m/6 पाक्सो एक्ट थाना मोहनलालगंज लखनऊ में अभियुक्त को दिनांक-01.10.2026 को दोषसिद्ध कराते हुए मा0 न्यायालय से 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं और 53,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की है।

03-फैसला का विवरणः-

मा0 न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो मेन लखनऊ द्वारा दिनांक 01.10.2026 को मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त मैकूलाल पुत्र डला प्रसाद निवासी मोहनलालखेड़ा थाना मोहनलालगंज लखनऊ को धारा- 65(2)/351(3)/352 BNS व 5k/5m/6 पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 53,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

04- अभियुक्त का विवरणः-

मैकूलाल पुत्र डला प्रसाद निवासी मोहनलालखेड़ा थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ

05-पैरवीकर्ताः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रामबाबू सिंह थाना मोहनलालगंज लखनऊ।
2. का0 सुनील कुमार पैरोकार थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1814
दिनांक-02.10.2026

जोन-पश्चिमी / थाना-नाका हिण्डोला

- **नाका हिण्डोला पुलिस द्वारा हत्या की घटना से सम्बन्धित 17 वर्षीय किशोर अपचारी को घटना के 12 घंटे के भीतर पुलिस संरक्षण में लिया गया।**

01- संक्षिप्त विवरण-

वादी श्री राकेश भाग चन्दानी पुत्र स्व0 हरिशंकर, निवासी फ्लैट नं0-202, बीसीसी विजन अपार्टमेंट, ऐशबाग रोड, थाना नाका हिण्डोला, लखनऊ की तहरीरी सूचना के आधार पर मु0अ0सं0-160/2026 धारा 103(1) बी0एन0एस0 थाना नाका हिण्डोला, लखनऊ पंजीकृत किया गया। अभियोग वादी की पत्नी/किशोर अपचारी की मां की लोहे के औजार से प्रहार कर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत है।

02- पुलिस कार्यवाही-

उक्त घटना के सम्बन्ध में वांछित किशोर अपचारी की तलाश एवं पुलिस अभिरक्षा में लिये जाने हेतु पुलिस उपायुक्त, पश्चिमी के निर्देशन में थाना नाका हिण्डोला पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई प्रारम्भ की गयी। पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किशोर अपचारी की तलाश करते हुए आज दिनांक 02.10.2026 को घटना के लगभग 12 घंटे के भीतर थाना क्षेत्र से 17 वर्षीय किशोर अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए किशोर अपचारी को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत/न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

03- अपराध का तरीका-

पुलिस पूछताछ में किशोर अपचारी द्वारा बताया गया कि वह अपने जेंडर संबंधी व्यक्तिगत विचारों/इच्छाओं के कारण महिला के रूप में जीवन व्यतीत करना चाहता था, जिसका उसके माता-पिता द्वारा विरोध किया जाता था। इसी बात से क्षुब्ध होकर उसके द्वारा अपनी मां की हत्या की योजना बनायी गयी। योजना के क्रम में सेल्फ डिफेंस रेड चिली स्प्रे एवं लोहे का औजार खरीदा गया तथा उक्त घटना को अंजाम दिया गया।

04- अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0-160/2026, धारा 103(1) बी0एन0एस0, थाना नाका हिण्डोला, लखनऊ।

05-पुलिस टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष श्री विवेक कुमार चौधरी, थाना नाका हिण्डोला, लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री मोबीन अली, थाना नाका हिण्डोला, लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री आशीष पटेल, थाना नाका हिण्डोला, लखनऊ।
4. उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह, थाना नाका हिण्डोला, लखनऊ।
5. उ0नि0 श्री अंजनी तिवारी, थाना नाका हिण्डोला, लखनऊ।
6. हे0का0 श्री योगेश यादव, थाना नाका हिण्डोला, लखनऊ।
7. का0 श्री विजय बहादुर मिश्र, थाना नाका हिण्डोला, लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1816.

दिनांक-02.10.2026

जोन-उत्तरी/थाना- मलिहाबाद

- **थाना मलिहाबाद पुलिस टीम द्वारा पीड़िता को ब्लैकमेल कर शारीरिक सम्बन्ध बनाने एवं धर्म परिवर्तन हेतु दबाव बनाने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

पीड़िता द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर दिनांक 26.09.2026 को थाना मलिहाबाद पर मु0अ0सं0 184/2026 धारा 376(2)(n)/354(घ)/504/506 भादवि 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट तथा 5(L)/6 पोक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त शाहनवाज उर्फ शेखू पुत्र रमजान अली उर्फ मुन्ना निवासी मोहल्ला सिमरा तालाब, कस्बा व थाना मलिहाबाद, लखनऊ, उम्र करीब 26 वर्ष पंजीकृत कर विवेचना की गयी।

विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त द्वारा वादिनी/पीड़िता के नाबालिग अवस्था में कक्षा 11 में अध्ययनरत होने के दौरान उसका पीछा किया जाता था। दिनांक 01.01.2021 को पीड़िता को अकेला पाकर अभियुक्त द्वारा उसकी मांग में जबरदस्ती सिंदूर भरकर फोटो खींच ली गयी तथा उक्त फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ कई बार जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाये गये। वादिनी द्वारा अभियुक्त पर कलमा पढ़वाने एवं धर्म परिवर्तन हेतु दबाव बनाने तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर धमकी देने के आरोप भी लगाये गये।

विवेचना के दौरान वादिनी/पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 180 बीएनएसएस एवं धारा 183 बीएनएसएस, जन्मतिथि सम्बन्धी शैक्षणिक अभिलेख, जाति प्रमाण-पत्र, घटनास्थल निरीक्षण एवं अन्य साक्ष्यों का संकलन किया गया। विवेचना में अभियुक्त शाहनवाज के विरुद्ध प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर थाना मलिहाबाद पुलिस टीम द्वारा दिनांक 02.10.2026 को समय करीब 08:05 बजे नीबू बाग के पास बंटी की कबाड़ की दुकान के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

02-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह वादिनी/पीड़िता को लगभग पांच वर्ष से जानता है तथा दोनों के मध्य प्रेम सम्बन्ध होने की बात कही गयी। अभियुक्त द्वारा मुकदमे में लगाये गये आरोपों से इनकार करते हुए अपनी सफाई मा0 न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करने की बात बतायी गयी।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता व व्यवसाय-

01-शाहनवाज उर्फ शेखू पुत्र रमजान अली उर्फ मुन्ना, निवासी मोहल्ला सिमरा तालाब, कस्बा व थाना मलिहाबाद, जनपद लखनऊ, उम्र करीब 26 वर्ष।

04-अपराधिक इतिहास-

01-मु0अ0सं0 184/2026 धारा 376(2)(n)/354(घ)/504/506 भादवि 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट तथा 5(L)/6 पोक्सो एक्ट, थाना मलिहाबाद, लखनऊ।

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम, थाना मलिहाबाद लखनऊ-

1. उ0नि0 श्रीप्रकाश सिंह, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. उ0नि0 शनि तोमर, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1816.
दिनांक-02.10.2026

जोन-उत्तरी/थाना- मलिहाबाद

- **थाना मलिहाबाद पुलिस टीम द्वारा पीड़िता को ब्लैकमेल कर शारीरिक सम्बन्ध बनाने एवं धर्म परिवर्तन हेतु दबाव बनाने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

पीड़िता द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर दिनांक 26.09.2026 को थाना मलिहाबाद पर मु0अ0सं0 184/2026 धारा 376(2)(n)/354(घ)/504/506 भादवि 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट तथा 5(L)/6 पोक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त शाहनवाज उर्फ शेखू पुत्र रमजान अली उर्फ मुन्ना निवासी मोहल्ला सिमरा तालाब, कस्बा व थाना मलिहाबाद, लखनऊ, उम्र करीब 26 वर्ष पंजीकृत कर विवेचना की गयी।

विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त द्वारा वादिनी/पीड़िता के नाबालिग अवस्था में कक्षा 11 में अध्ययनरत होने के दौरान उसका पीछा किया जाता था। दिनांक 01.01.2021 को पीड़िता को अकेला पाकर अभियुक्त द्वारा उसकी मांग में जबरदस्ती सिंदूर भरकर फोटो खींच ली गयी तथा उक्त फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ कई बार जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाये गये। वादिनी द्वारा अभियुक्त पर कलमा पढ़वाने एवं धर्म परिवर्तन हेतु दबाव बनाने तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर धमकी देने के आरोप भी लगाये गये।

विवेचना के दौरान वादिनी/पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 180 बीएनएसएस एवं धारा 183 बीएनएसएस, जन्मतिथि सम्बन्धी शैक्षणिक अभिलेख, जाति प्रमाण-पत्र, घटनास्थल निरीक्षण एवं अन्य साक्ष्यों का संकलन किया गया। विवेचना में अभियुक्त शाहनवाज के विरुद्ध प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर थाना मलिहाबाद पुलिस टीम द्वारा दिनांक 02.10.2026 को समय करीब 08:05 बजे नीबू बाग के पास बंटी की कबाड़ की दुकान के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

02-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह वादिनी/पीड़िता को लगभग पांच वर्ष से जानता है तथा दोनों के मध्य प्रेम सम्बन्ध होने की बात कही गयी। अभियुक्त द्वारा मुकदमे में लगाये गये आरोपों से इनकार करते हुए अपनी सफाई मा0 न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करने की बात बतायी गयी।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता व व्यवसाय-

01-शाहनवाज उर्फ शेखू पुत्र रमजान अली उर्फ मुन्ना, निवासी मोहल्ला सिमरा तालाब, कस्बा व थाना मलिहाबाद, जनपद लखनऊ, उम्र करीब 26 वर्ष।

04-अपराधिक इतिहास-

01-मु0अ0सं0 184/2026 धारा 376(2)(n)/354(घ)/504/506 भादवि 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट तथा 5(L)/6 पोक्सो एक्ट, थाना मलिहाबाद, लखनऊ।

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम, थाना मलिहाबाद लखनऊ-

1. उ0नि0 श्रीप्रकाश सिंह, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. उ0नि0 शनि तोमर, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1811
दिनांक-02.09.2026

जोन- उत्तरी / थाना-जानकीपुरम

- **सर्विलांस टीम उत्तरी व थाना जानकीपुरम की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा स्नैचिंग करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 01 अदद चैन (पीली धातु) व घटना में प्रयुक्त होण्डा एक्टिवा स्कूटी बरामद।**

01-कार्यवाही-

दिनांक 30.09.2026 को आवेदक श्री अमित शर्मा पुत्र सतेन्द्र स्वरूप शर्मा निवासी- शास्त्रीनगर थाना काकादेव जनपद कानपुरनगर हालपता जानकीविहार कालोनी थाना जानकीपुरम लखनऊ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि एक स्कूटी सवार द्वारा मेरी सासू माता से मदद के बहाने उनके गले से चैन झपट्टा मारकर भाग गया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-184/2026, धारा 304(2) बीएनएस बनाम अज्ञात स्कूटी चालक नाम पता अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.10.2026 को थाना जानकीपुरम की पुलिस टीम द्वारा उच्चाधिकारीगण के आदेश/निर्देश के क्रम में उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्त की पहचान की गयी तथा पहचान के उपरान्त अभियुक्त ऋषि सेठ पुत्र स्व0 कृष्ण चन्द्र सेठ नि0- म0न0 28/13 अशोक मार्ग निकट तलवार पेट्रोल पम्प थाना हजरतगंज लखनऊ उम्र-36 वर्ष को नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सीडीआरआई रोड निकट SBI बैंक से हिरासत पुलिस में लिया गया। कब्जे से 02 अदद चैन के टुकड़े पीली धातु, जामा तलाशी से 01 अदद मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त वाहन सं0-UP32DF8260 होण्डा एक्टिवा स्कूटी बरामद किया गया, जिसके कागजात उपलब्ध न होने पर धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया। बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस बढोत्तरी की गई।

अभियुक्तगण को मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास एवं अन्य पंजीकृत अभियोगों के संबंध में जानकारी की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

03. अनावरित अभियोगों का विवरण:-

1. मु0अ0सं0-184/2026, धारा 304(2)/**317(2)** बीएनएस थाना जानकीपुरम लखनऊ

04.अपराध करने का तरीका (Modus Operandi):-

अभियुक्त द्वारा राह चलते लोगो से मोबाइल व चैन आदि स्नैचिंग कर राह चलते लोगो को बेचकर मिले सामान व रुपयों का उपयोग अपने शौक पूरे करने तथा इसी से हमारा जीवन यापन करना।

05.गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. ऋषि सेठ पुत्र स्व0 कृष्ण चन्द्र सेठ नि0- म0न0 28/13 अशोक मार्ग निकट तलवार पेट्रोल पम्प थाना हजरतगंज लखनऊ उम्र-36 वर्ष (व्यवसाय – कैटर्स)

06. आपराधिक इतिहास अभियुक्त- ऋषि सेठ पुत्र स्व0 कृष्ण चन्द्र सेठ

1.मु0अ0स0 1028/16 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना गोमतीनगर लखनऊ
2. मु0अ0स0 1294/17 धारा 392/411 भादवि0 थाना गोमतीनगर लखनऊ
3. मु0अ0स0 853/18 धारा 34 सीआरसी थाना गोमतीनगर लखनऊ
4. मु0अ0स0 098/22 धारा 392 भादवि थाना पारा लखनऊ
5. मु0अ0स0 222/16 धारा 392 भादवि थाना गोमतीनगर लखनऊ
6. मु0अ0स0 249/16 धारा 392/411 भादवि थाना गोमतीनगर लखनऊ
7. मु0अ0स0 280/16 धारा 392 भादवि थाना गोमतीनगर लखनऊ
8. मु0अ0स0 315/16 धारा 392 भादवि थाना गोमतीनगर लखनऊ
9. मु0अ0स0 442/16 धारा 392/411 भादवि थाना गोमतीनगर लखनऊ
10. मु0अ0स0 026/16 धारा 392 भादवि थाना महानगर लखनऊ
11. मु0अ0स0 0290/22 धारा 392 भादवि थाना महानगर लखनऊ
12. मु0अ0स0 064/16 धारा 392/411 भादवि थाना विकासनगर लखनऊ
13. मु0अ0स0 202/22 धारा 392/411 भादवि थाना तालकटोरा लखनऊ
14. मु0अ0स0 269/22 धारा 392/411 भादवि थाना तालकटोरा लखनऊ

07. बरामदगी का विवरणः-

- 02 अदद चैन के टुकड़े पीली धातु
- 01 अदद मोबाइल फोन बरामद।
- घटना में प्रयुक्त वाहन सं0-UP32DF8260 होण्डा एक्टिवा स्कूटी बरामद किया गया। वाहन के कागजात न होने पर धारा 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज किया गया ।

08.गिरफ्तार करने वाली वाली पुलिस टीम -

थाना जानकीपुरम पुलिस टीम	**स्वाट/सर्विलांस टीम पुलिस उपायुक्त उत्तरी**
प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार तिवारी	स्वाट/सर्विलांस टीम प्रभारी उ0नि दीपक कुमार
उप निरीक्षक विकास सिंह	हे0का0 अवधेश गिरी
उ0नि0 सौरव कुमार	हे0का0 नदीम
उ0नि0 अनुभव	हे0का0 संतोष कुमार
हे0का0 अजीत कुमार वर्मा	हे0का0 अमित कुमार गौतम
का0 सत्येन्द्र कुमार	का0 राघवेन्द्र प्रताप सिंह
का0 रमाकान्त	का0 विशेष दुहूण
	का0 अमन शुक्ला

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1813
दिनांक- 02.10.2026

जोन-पश्चिमी/थाना-काकोरी

- **काकोरी पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा महिला एवं उसके दोनों बच्चों को गैर प्रांत ग्वालियर (मध्य प्रदेश) से सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.09.2026 को गुमशुदा शैकी उर्फ पूजा पत्नी पारुल शर्मा, निवासी ग्राम सकरा गौरी, थाना काकोरी, लखनऊ, अपनी पुत्री उम्र करीब 14 वर्ष एवं पुत्र उम्र करीब 11 वर्ष के साथ कहीं चली गयी थीं। इस संबंध में गुमशुदा के पति द्वारा थाना काकोरी पर गुमशुदगी संख्या 54/2026 दर्ज करायी गयी थी।

गुमशुदा महिला एवं उसके दोनों बच्चों की सकुशल बरामदगी हेतु थाना काकोरी पुलिस द्वारा 02 पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस एवं तकनीकी माध्यमों की सहायता से गुमशुदा की लोकेशन ट्रेस की गयी, जो आनंद नगर कॉलोनी, थाना बहोड़ापुर, जनपद ग्वालियर, मध्य प्रदेश में पायी गयी।

उक्त लोकेशन के आधार पर थाना काकोरी से उ0नि0 श्री उत्तम कुमार सिंह, उ0नि0 श्री अभिमन्यु सिंह एवं महिला आरक्षी बबीता की पुलिस टीम को ग्वालियर, मध्य प्रदेश भेजा गया। पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए दिनांक 02.10.2026 को गुमशुदा शैकी उर्फ पूजा एवं उसकी पुत्री उम्र करीब 14 वर्ष तथा पुत्र उम्र करीब 11 वर्ष को आनंद नगर कॉलोनी, थाना बहोड़ापुर, जनपद ग्वालियर, मध्य प्रदेश से सकुशल बरामद किया गया।

आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त गुमशुदा महिला एवं उसके दोनों बच्चों को उनके पति/पिता श्री पारुल शर्मा के सुपुर्द किया गया। पुलिस द्वारा की गयी त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही से परिजनों द्वारा संतोष व्यक्त करते हुए पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

02- बरामदगी पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 श्री उत्तम कुमार सिंह, थाना काकोरी, जनपद लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री अभिमन्यु सिंह, थाना काकोरी, जनपद लखनऊ।
3. महिला आरक्षी बबीता, थाना काकोरी, जनपद लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1809
दिनांक- 02.10.2026

जोन-मध्य / थाना-हसनगंज

- **थाना हसनगंज पुलिस द्वारा 02 शातिर वाहन चोर / अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल (UP32MT1750) बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

थाना स्थानीय पर दिनांक 30.09.2026 को आवेदक के द्वारा प्रा0 पत्र बावत एक आदमी नाम व पता अज्ञात द्वारा वादी की मोटरसाइकिल वाहन सं0 UP32 MT 1750 Pulsar 125 चोरी कर लेने के सम्बन्ध में दिया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर तत्कालीन मु0अ0सं0 162/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना हसनगंज लखनऊ पर पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 श्री शाह आलम द्वारा सम्पादित की जा रही है।

02- कार्यवाही का विवरण-

दिनांक 02.10.2026 को उ0नि0श्री शाह आलम मय हमराह के मु0अ0सं0 162/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना हसनगंज लखनऊ से संबंधित अभियुक्त की तलाश पतारसी सुरागरसी हेतु क्षेत्र मे मामूर थे कि दौराने विवेचना बयान वादी व निरीक्षण घटनास्थल, सीसीटीवी फोटेज व संदिग्ध से पूछताछ के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्तगण- 1. इन्दल उर्फ अजय पुत्र पप्पू निवासी सेक्टर एफ अलीगंज थाना अलीगंज लखनऊ उम्र 21 वर्ष 2.दिनेश रावत पुत्र आशा राम रावत निवासी 495/11 शंकर नगर के पास माया नगर डालीगंज थाना हसनगंज लखनऊ हाल पता आस्तिक शिव मंदिर के पास प्रीति नगर थाना मड़ियांव लखनऊ उम्र 23 वर्ष को दिनांक 02.10.2026 को गोमती नदी के किनारे आरती स्थल के पास झूलेलाल पार्क थाना हसनगंज लखनऊ से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस थाना हसनगंज की वृद्धि की गयी ।गिरफ्तार कर अभियुक्तगण के विरुद्ध अंतर्गत धारा मु0अ0सं0 162/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

03- गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. इन्दल उर्फ अजय पुत्र पप्पू निवासी सेक्टर एफ अलीगंज थाना अलीगंज कमि0 लखनऊ उम्र 21 वर्ष
2. दिनेश रावत पुत्र आशा राम रावत निवासी 495/11 शंकर नगर के पास माया नगर डालीगंज थाना हसनगंज लखनऊ हाल पता आस्तिक शिव मंदिर के पास प्रीति नगर थाना मड़ियांव कमि0 लखनऊ उम्र 23 वर्ष

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण-

1- मु0अ0सं0 162/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना हसनगंज लखनऊ।

नोट- अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में अन्य थाना/इकाई/जनपदों से जानकारी की जा रही है।

05- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री शाह आलम थाना हसनगंज लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री अभिषेक कुमार पाठक थाना हसनगंज लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री विनय कुमार थाना हसनगंज लखनऊ।
4. उ0नि0 श्री लाल चन्द्र यादव थाना हसनगंज लखनऊ।
5. का0 विकास यादव थाना हसनगंज लखनऊ।
6. का0 सुधांशु खोखर थाना हसनगंज लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1812
दिनांक-02.10.2026

जोन-पश्चिमी/थाना- अमीनाबाद

- **वादी व उनके साथियों के सहयोग से दुकान के बाहर से चोरी किये गये सुलेशन (ग्लू) के एक गत्ते सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा बरामद।**

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.10.2026 को वादी श्री मो0 यमन पुत्र मो0 कय्यूम, निवासी 155/129/43 मौलवीगंज, थाना अमीनाबाद, लखनऊ द्वारा थाना अमीनाबाद पर लिखित तहरीर दी गयी कि नफीस स्वीट्स, मौलवीगंज के पास स्थित उनकी दुकान की केबिन के बाहर रखा सुलेशन (ग्लू) का एक गत्ता दिनांक 01.10.2026 को समय करीब 16:30 बजे ई-रिक्शा सवार दो व्यक्तियों द्वारा चोरी कर लिया गया।

घटना की जानकारी मिलने पर वादी एवं उनके साथियों मो0 दाऊद तथा सैय्यद साकिब द्वारा दोनों व्यक्तियों का पीछा कर कुछ दूरी पर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों के कब्जे से चोरी किया गया सुलेशन (ग्लू) का एक गत्ता तथा घटना में प्रयुक्त बैटरी चालित ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन संख्या **UP32ZN3038** बरामद हुआ। पूछताछ में दोनों ने अपना नाम **1. समद आलम उर्फ रिंकू एवं 2. मो0 सलमान** बताया।

वादी की तहरीर एवं बरामदगी के आधार पर थाना अमीनाबाद, पर **मु0अ0सं0 0083/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस** पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा की जा रही है। पुलिस टीम द्वारा दोनों अभियुक्तों को दिनांक 01.10.2026 को समय 17:13 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

02- अभियुक्तगण से पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण से घटना के संबंध में पूछताछ की गयी, जिसमें दोनों अभियुक्तों द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गयी।

03- गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. **समद आलम उर्फ रिंकू** पुत्र रियाज रसूल, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी रिंग रोड चौकी के पीछे, न्यू हैदरगंज पुलिया, थाना ठाकुरगंज, लखनऊ।
2. **मो0 सलमान** पुत्र आमीन उर्फ मुल्ला जी, उम्र करीब 27 वर्ष, स्थायी निवासी सिसईया, थाना धौरहरा, जनपद लखीमपुर खीरी, हाल पता दुबग्गा कब्रिस्तान के पास झोपड़ी, थाना दुबग्गा, लखनऊ।

04-पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0-083/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना अमीनाबाद लखनऊ

05-आपराधिक इतिहास का विवरण-

A-अभियुक्त मो0 सलमान-

1. मु0अ0सं0 240/2020, धारा 354, 354(ख), 354(घ), 504, 506 भादवि एवं 9/10 पॉक्सो एक्ट, थाना गुडम्बा, लखनऊ।

B-अभियुक्त समद आलम-

1. मु0अ0सं0 639/2025, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना ठाकुरगंज, लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 640/2025, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना ठाकुरगंज, लखनऊ।
3. मु0अ0सं0 641/2025, धारा 317(2) बीएनएस, थाना ठाकुरगंज, लखनऊ।

06- बरामदगी-

1. चोरी किया गया सुलेशन (ग्लू) से भरा एक गत्ता।
2. घटना में प्रयुक्त एक अदद बैटरी चालित ई-रिक्शा, रजिस्ट्रेशन संख्या **UP32ZN3038**।

07- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री राहुल कुमार चौधरी, थाना अमीनाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. का0 देवेन्द्र कुमार, थाना अमीनाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।
3. म0का0 लवसी, थाना अमीनाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।